न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 34/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. मूलाराम पुत्र कपूरजी 2. छतरराम पुत्र कपूरजी 3. माधवलाल पुत्र कपूरजी निवासीगण आडवाडा तहसील व जिला जालोर।		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जालोर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री बसंत कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05.08.2019

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/12 बउनवान मूलाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आडवाडा में बेरा बनाम रूपवा लौहारोवाला के साबिक खसरा नंबर 15 रकबा 80 बीघा(पुराने) जिसके नये खसरा नंबर 56 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नंबर 44 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नंबर 50 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नंबर 55/60 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नंबर 48/600 रकबा 1.12 हैक्टर कुल रकबा 6.01 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत किया। उक्त दावे का आधार यह था कि उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के पूर्वजो के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की है। उक्त आराजी पर अपीलांट के पूर्वजो ने एक बेरा खुदवाया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पक्का बंधवाया एवं काश्तीय कार्य हेतु अपीलांटगण ने अपने आवास हेतु एक सडा (बडा हॉल) बनवाया तथा पक्का मशीनघर बनवाया, उस पर जनरेटर सेट लगवाया जो आज भी मौजूद है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी पर अपने पूर्वजो के समय शांतिपूर्वके तरीके से काबिज काश्त है। वर्तमान बंदोबस्त के कर्मचारियो ने बिना किसी सक्षम आदेश के मौके की स्थिति एवं राजस्व अभिलेख में रद्दोबदल कर वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज कर दिया। जिनका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। वादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांटगण का कब्जा काश्त होने के कारण अपीलांटगण के विरूद्ध 91 के मुकदमे दर्ज हुए। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण के पूर्वजो के समय से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प डूडसी में रखकर में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि को अपीलाण्ट द्वारा मेहनत से कृषि योग्य बनाया है, जिसकी खातेदारी अधिकार प्रदान न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के हक हकूकों पर कुठाराघात किया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त कराते हुए वादस्थ भूमि का अपीलाण्ट को खातेदार घोषित करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आडवाडा में बेरा बनाम रूपवा लौहारोवाला के साबिक खसरा नंबर 15 रकबा 80 बीघा(पुराने) जिसके नये खसरा नंबर 56 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नंबर 44 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नंबर 50 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नंबर 55/60 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नंबर 48/600 रकबा 1.12 हैक्टर कुल रकबा 6.01 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। वादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। जिसके कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आडवाडा में बेरा बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रूपवा लौहारोवाला के साबिक खसरा नंबर 15 रकबा 80 बीघा(पुराने) जिसके नये खसरा नंबर 56 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नंबर 44 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नंबर 50 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नंबर 55/60 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नंबर 48/600 रकबा 1.12 हैक्टर कुल रकबा 6.01 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प डूडसी मे रखकर जैर अपील निर्णय पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलांट मूलाराम स्वंय के हस्ताक्षर है। अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी की किस्म पूर्व में गैर मुमकिन नदी एवं सिवायचक में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। जिससे कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जात है तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/12 बउनवान मूलाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली